

Need to ban online gaming-laid

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : आज देश के लाखों युवा ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार हो रहे हैं। ये गेम वास्तव में ऑनलाइन जुआ हैं, जिन्हें 'Game of Skill' कहकर वैधता दी जा रही है। जीतने की संभावना मात्र 0.00006% होने के बावजूद युवा जल्दी अमीर बनने की चाह में इसमें फँस रहे हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन पर गहरा असर हो रहा है। कई मामलों में तनाव, कर्ज और आत्महत्या जैसी घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग से कंपनियाँ अरबों कमा रही हैं। एक कंपनी ने 6384 करोड़ रुपये GST चुकाया है, तो सोचने की बात है कि कमाई कितनी हुई होगी। वहीं 71 कंपनियाँ मिलकर 1.12 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी कर चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, टैक्स चोरी में लिप्त कंपनियों पर कार्रवाई की जाए और देश के युवाओं को इस घातक लत से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।